

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

क्रमांक: RELIEF/RABI-II 2076/SWM/ME REJECTED/SMF 50-75/ 731

दिनांक: 15/02/2023

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2076/SAW/0005957

प्रशासनिक स्वीकृति


विषय:- अभाव संवत् 2076 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 2319-26 दिनांक 19.02.2020 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2076 (रबी-2019-20) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
सवाई माधोपुर	2	SMF	50%-75%	7290
योग	2			7290


उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(09)-[02]-12 बजट मद पर भारित होगी ।

732-42
15/2/2023


जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 732-42

1. शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, ~~जयपुर~~ ~~जयपुर~~
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....स.०.का.०
6. अति. जिला कलेक्टर.....स.०.का.०
7. तहसीलदारस.०.का.०
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....स.०.का.०
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....स.०.का.०
10. रक्षित पत्रावली।


जिला कलेक्टर,
सवाई माधोपुर